भारतीय दंड संहिता के तहत दुष्प्रेरण

विषय - सूची

- परिचय
- दुष्प्रेरण का अर्थ
- भारतीय दंड संहिता के तहत दुष्प्रेरण
- भारतीय दंड संहिता के तहत दुष्प्रेरण के लिए सजा
  - दंड संहिता की धारा 116 और 306
  - अध्याय V
- दुष्प्रेरण के तत्व
- बहकानेवाला
  - व्याख्या १
  - व्याख्या २
  - व्याख्या ३
  - व्याख्या ४
- सजा में शामिल लोगों को सजा देने का औचित्य
- दुष्प्रेरण और एक आम इरादे के बीच अंतर
- भारतीय दंड संहिता के तहत दुष्प्रेरण के प्रकार
- उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण
  - विलफुल मिसरेस्ट्रेशन या विलफुल कंसीलरेशन
    - सुपीरियर अधिकारियों से उत्पीडन
    - षडयंत्र द्वारा दुष्प्रेरण
  - अवैध चूक से
  - अन्य कान्नों के तहत अपराधों का उन्मूलन
  - प्रयास
  - आपराधिक धमकी के साथ किया गया अधिनियम अभियोग नहीं है
  - भड़काने
    - धारा 107 के पहले दो खंडों के लिए अपराध का आयोग आवश्यक नहीं है
    - केवल मौखिक अनुमति या मूक आश्वासन नहीं होगा
    - वसीयत को गलत तरीके से पेश करने या जमा करने के लिए पर्याप्त है
    - प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दायित्व
  - षड्यंत्र
    - षड्यंत्र द्वारा सामग्री
  - जानबूझकर सहायता
    - सामग्री
    - अपराध स्थल पर मौजूद होने के कारण सहायता करने के लिए राशि नहीं है

- अध्याय VII
  - सामग्री
- अध्याय XVI
  - आत्महत्या करने की प्रवृत्ति
- प्रासंगिक मामले कानून
- निष्कर्ष
- संदर्भ

परिचय

कानून मानवीय व्यवहार पर नजर रखता है। यह उन्हें आपराधिक और गैर-आपराधिक व्यवहार में वर्गीकृत करता है। हालाँकि, हर गैर-आपराधिक व्यवहार यहां तक कि आपके रसोई घर के लिए चाकू खरीदने के रूप में कुछ सरल हो जाता है जब इसके पीछे आपराधिक इरादे होते हैं।

घृणा की अवधारणा इन आपराधिक इरादों को शामिल करने के लिए आपराधिक कानून के क्षितिज को चौड़ा करती है और उन्हें दंडित भी करती है जब चाकू खरीदने वाले व्यक्ति ने वास्तव में किसी को नहीं मारा, लेकिन इसे किसी और को सौंप दिया। एबेटमेंट की अवधारणा को समझाने के लिए, 'एबेट' शब्द को गहन जांच दी जानी चाहिए। सामान्य उपयोग में, इसका मतलब सहायता, अग्रिम, सहायता, सहायता और बढ़ावा देना है।

संजू बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में [1] माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सहायता, सहायता, या सहायता, आदेश, खरीद, या परामर्श करने के लिए, प्रतिपूर्ति के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, सहायता के लिए 'abet' को परिभाषित किया। या प्रोत्साहित करने के लिए या एक दूसरे को प्रतिबद्ध करने के लिए सेट करें। [२] 'एसेट' की परिभाषा को नीचे रखा गया है, यह स्पष्ट करता है कि एबेटमेंट केवल तब होता है जब कम से कम दो व्यक्ति शामिल होते हैं, जो हमें अधिनियम की *व्यवस्था* और *संचालन* के लिए निर्देशित करता है।

सामान्य प्रतिमान में, किसी व्यक्ति को केवल तभी उत्तरदायी माना जाता है, जब उसने व्यक्तिगत रूप से अपराध किया हो। सामान्य अवधारणा से अलग, अबेटमेंट की अवधारणा कहती है, कि जिसने अपराधी की मदद की है या उसे किसी भी रूप में सहायता प्रदान की है, उसे भी उत्तरदायी माना जा सकता है। इस लेख में लंबाई पर चर्चा की जाएगी, भारत में अभय कानून के किटी ग्रिट्टी।

दुष्प्रेरण का अर्थ

आम बोलचाल में, शब्द ' *अबेट* ' मदद, सह-गतिविधि और समर्थन को दर्शाता है और अपराध को अंजाम देने के लिए अपने महत्वाकांक्षी, नाजायज कारण में शामिल करता है। इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के तहत निर्दिष्ट शर्तों में से किसी एक के तहत किसी व्यक्ति के काम करने पर रोक लगाने के रूप में , यह प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण नहीं है कि जिस व्यक्ति ने अपमानित किया है उसने अभी तक लेन-देन के साधनों में भाग लिया है इसके अलावा लेन-देन के उन साधनों से जुड़ा है जो आपराधिक हैं।

भारतीय दंड संहिता के तहत दुष्प्रेरण

दुष्प्रेरण द्वारा गठित किया जाता है:

1. किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाना; या
2. इसे करने के लिए एक साजिश में संलग्न; या
3. जानबूझकर किसी व्यक्ति को इसके लिए प्रतिबद्ध करना।

अभियोग द्वारा अपमान का अपराध उस व्यक्ति के इरादे पर निर्भर करता है जो पालन करता है न कि उस अधिनियम पर जो उस व्यक्ति द्वारा समाप्त कर दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के तहत दिए गए उदाहरण के अनुसार, अभियोग, अनुमान या उद्देश्यपूर्ण सहायता हो सकती है, हालांकि, बिना किसी इरादे के व्यक्त किए गए शब्दों या किसी उद्देश्य के बिना चूक को अस्थिरता नहीं कहा जा सकता है।

किसी व्यक्ति को अबेटमेंट के लिए उत्तरदायी कहा जा सकता है, और इसलिए धारा 107 के तहत एक आपराधिक अपराध के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए अभियोजन पक्ष को दावा किए गए घटक के दावे का दावा करना चाहिए। दंडनीय कानूनों की व्यवस्था के अनुसार, उत्तरदायी को दंडित करने के लिए लापरवाही या लापरवाही का नामकरण नहीं किया जा सकता है।

इसलिए अबेटमेंट स्थापित करने के लिए, बूचड़खाने को गलत तरीके से कमीशन के लिए "जानबूझकर" समर्थन देने के लिए दिखाई दिया। ऐसे मामले में हमें सिर्फ यह साबित करने की जरूरत है कि चार्ज किए

गए गलत काम को एसोसिएशन के बिना नहीं किया जा सकता है और साथ ही माना जा रहा है कि हस्तक्षेप करने वाले का हस्तक्षेप धारा 107 के पूर्वापेक्षाओं के साथ पर्याप्त नहीं है।

जब हम एक स्टिंग ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं जो आम तौर पर सार्वजनिक हित में किया जाता है, तो यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वही आरोपी को उकसाने के द्वारा किया जाता है।

इस प्रकार, विचाराधीन व्यक्ति, जो आमतौर पर ईमानदार होता है, को लेन-देन की गोपनीयता और गोपनीयता की पुष्टि पर एक गलत काम करने के लिए उकसाया जाता है, इस तरह के पीड़ित के साथ संभावित मुद्दों के संबंध में संभावित मुद्दों को सामने लाया जाता है, जिसे गलत काम का प्रभारी माना जा सकता है, जिसे उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, उन्हें आश्वासन नहीं दिया गया था। ऐसी स्थितियों में, क्या व्यक्तिगत, यानी, स्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर को अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए? यह एक भयावह प्रश्न है जब दावा किया जाता है कि स्टिंग प्रशासक ने अपराध को समाप्त करने के लिए जोर दिया है।

रजत प्रसाद बनाम सीबीआई में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि एक गलत काम सिर्फ इस तथ्य के प्रकाश में कुचल या अतिरंजित नहीं होता है कि इसका लाभ बड़े पैमाने पर आम जनता तक पहुंचता है।

मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपराध को रोकने में विफल रहा है, तो यह जांच उभरकर सामने आती है कि यह विफलता अभियोग में शामिल होगी या नहीं। कानून की इस स्थिति को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने देखा है, जो वैसे भी आयोजित किया गया था कि भले ही वह एक साथी नहीं है, अदालत को अब सामग्री विवरण पर भी प्रमाण की आवश्यकता होगी, क्योंकि वह गलत काम का मुख्य पर्यवेक्षक है और जैसा कि यह है अभियुक्त को उसकी एकमात्र घोषणा पर लटकाने के लिए खतरनाक, सिवाय इसके कि अगर न्यायालय को लगता है कि वह वास्तविकता से बात कर रहा है।

इस तरह की पुष्टि की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि यह हो सकता है, अपराध के वास्तविक आयोग के विषय पर; जिस कानून की आवश्यकता होती है, वह यह है कि जिस व्यक्ति को गलत तरीके से दोषी ठहराया गया है, उसे जोड़ने वाली कहानी के भौतिक टुकड़े का ऐसा समर्थन होना चाहिए, जो एक उचित व्यक्ति को आश्वस्त करेगा कि आदमी को एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है और उसके बयान को भरोसा किया जा सकता है के ऊपर। अक्सर, एबेटमेंट में निष्क्रिय सहायता भी शामिल हो सकती है।

उदाहरण के लिए, ऐसे मामले में जहां अभियुक्त को लड़ाई के दृश्य पर भाले के साथ पाया गया था, लड़ाई में उसकी भागीदारी साबित हुई थी। यह वास्तव में अपने हथियारों का उपयोग करने या न करने के लिए अवास्तविक था, वे अभी भी प्रतिवादी पार्टी के कारण लगी चोटों के लिए उत्तरदायी थे।

टक वी। रॉबसन के मामले में, एक सार्वजनिक व्यक्ति (वह व्यक्ति जो पब या बार का प्रबंधन करता है), पब बंद होने के बाद अपने ग्राहकों को परिसर छोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा था, कहा जाता था कि उसे घृणा के अपराध का सामना करना पड़ा था घंटे के बाद शराब की खपत जिसमें इसे अनुमति दी गई थी। इसी तरह, एक ऐसी स्थिति के बारे में बात करते हैं जिसमें एक कार का एक मालिक जो उस विशेष उदाहरण पर गाड़ी नहीं चला रहा था और उस दिन अपने दोस्त को कार चलाने का काम सौंपा था। दोस्त बहुत ही लापरवाही से ड्राइविंग में शामिल था और कार के मालिक पर अभद्रता का आरोप लगाया गया क्योंकि वह ड्राइवर को ऐसी ड्राइविंग में शामिल होने से रोकने में विफल रहा था।

कानून का विश्लेषण करने पर, यह देखा गया कि किसी व्यक्ति को भरण-पोषण के लिए बुकिंग करने के लिए किसी भी प्रकार की सहायता या प्रलोभन देने वाले अधिनियम की आवश्यकता थी। इस प्रकार यदि हम एक ऐसे मामले के बारे में बात करते हैं जिसमें अपराध को रोकने के लिए संयम रखने की बात कही जाती है, तो यह आमतौर पर पर्याप्त नहीं होता है कि किसी व्यक्ति को अपमानित करने के लिए बुक किया जाए। लेकिन ऐसे मामले में जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आचरण के सीधे नियंत्रण में होता है और फिर वह दूसरे व्यक्ति को अपराध करने से रोकने में विफल रहता है, यह घृणा पैदा करेगा।

कानून का उपर्युक्त प्रावधान एक की उपस्थिति की परिकल्पना करता है, जिसने अपराध को समाप्त कर दिया। इसके बारे में बात करना जरूरी है, संक्षेप में, 'पेरीप्रेटेटर' की अभिव्यक्ति। अधिकांश भाग के लिए यह स्पष्ट है कि अपराधी कौन है, वह वह व्यक्ति है जिसने महत्वपूर्ण पुरुषों के साथ, होमिसाईड में घातक गोली मारी है, या संभोग में लिप्त है या संपत्ति को लूट में शामिल करता है। जाहिर है, एक से अधिक अपराधी हो सकते हैं, जहां संयुक्त हिंसा द्वारा दो लोग दूसरे व्यक्ति की हत्या करते हैं।

इसी तरह दो व्यक्ति संयुक्त अपराधी हो सकते हैं, जहां प्रासंगिक पुरुषों के साथ प्रत्येक व्यक्ति उन कृत्यों को करता है जिनमें एक साथ एक अपराध के एक्टस रीस का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होता है; उदाहरण के लिए, ड्राइविंग सहित एक अपराध में, ए और बी दोनों को चलाने के लिए आयोजित किया गया है, जहां ए अधिक झुकाव और स्टीयरिंग को नियंत्रित कर रहा था जबकि बी ने पैर पैडल को काम किया। इस अवसर पर कि एक व्यक्ति निर्दोष एजेंट का उपयोग करता है ताकि अपराध का कमीशन प्राप्त किया जा सके, वह व्यक्ति, एजेंट नहीं, अपराधी है, इस तथ्य के बावजूद कि वह गलत काम के स्थान पर अनुपस्थित है और कुछ भी नहीं करता है अपने ही हाथों से।

एक निर्दोष एजेंट वह होता है जो अभी तक अपराध का पुनर्मिलन करता है, स्वयं में जिम्मेदारी की कमी होती है, या तो अपर्याप्तता या शैशवावस्था के कारण या इस तथ्य के प्रकाश में कि उसे मेन्स पढ़ने की जरूरत है या उसके पास सुरक्षा है, उदाहरण के लिए, दबाव।

निर्दोष एजेंसी का एक हड़ताली मामला वह मामला है जहां एक लड़की ने अपनी माँ के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, अपने पिता को अपनी ठंड को शांत करने के लिए कुछ पाउडर दिया। छोटी लड़की के लिए अस्पष्ट, यह एक विषाक्त पदार्थ था और फलस्वरूप पिता की मृत्यु हो गई।

यह माना जाता था कि मां गलत व्यवहार की अपराधी थी, क्योंकि छोटी लड़की जो कि मेन्स पर पढ़ती थी, छोटी थी, एक मासूम एजेंट थी, जिसके द्वारा मां ने गलत काम को अंजाम दिया था। जाहिर है अगर, जैसा कि रिपोर्ट में ध्यान दिया गया है, छोटी लड़की ने महसूस किया था कि पाउडर जहर था, वह दोषी के रूप में दोषपूर्ण और गौण के रूप में मां थी।

एक रिश्वत देने वाला एक गौण है, बस जब वह इसे कुछ पक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से देता है जो कि वैध तरीकों से हासिल करना संभव नहीं था, फिर भी जो व्यक्ति अपराध को रोकने में सहायता करता है, वह सहायक नहीं है, महत्वपूर्ण पुरुष याद आ रही है। तनाव, भय और मजबूरी के तहत गैरकानूनी संतुष्टि देने वाले लोग सिद्धहस्त नहीं हैं।

यह प्रत्येक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि एक ही मुकदमे में लगाए गए महत्वपूर्ण गलत काम को आरोपित किए गए अपराध के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, इससे पहले कि बूचड़खाने के लिए उस अपराध के लिए सजा सुनाई जा सकती है। प्रत्येक मामले को तथ्यों के अपने सेट को ध्यान में रखते हुए तय किया जाना चाहिए।

द्वारा और बड़े तथ्यों से पता चलता है कि अभियोग के लिए कोई भी दोषी नहीं हो सकता है जब अभियोजन ने आवश्यक अपराध के कमीशन की पुष्टि करने के लिए उपेक्षा की है, लेकिन उसके अपहरण के कार्य के लिए एबेटोर को दोषी ठहराना पूरी तरह से उचित होगा, तब भी जब मुख्य अपराधी है बरी कर दिया गया, बशर्ते कि रिकॉर्ड पर साक्ष्य संतोषजनक रूप से स्थापित हो, जो कि एबेटोर के अपमान के कृत्य के परिणामस्वरूप अपराध किया गया था।

ऐसा मामला सामने आ सकता है, जिसमें उसी गवाह के साक्ष्य पर, जिसके सबूत को मुख्य अपराधी की सजा के लिए अपर्याप्त पाया गया हो, अबेटॉर का दोषी होना काफी उचित होगा।

जहाँ तक प्रमुख अपराधी का संबंध है, वही सबूत उस दुर्बलता से पीड़ित हो सकते हैं जहाँ से वह अब तक पीड़ित नहीं हो सकता है क्योंकि अपहरणकर्ता का संबंध है, और ऐसे मामले में, हालांकि अदालत ने मुख्य अपराधी को बरी कर दिया है। संदेह का लाभ, यह पूरी तरह से औचित्य को साबित करने में उचित होगा, इस तथ्य के कारण कि प्रमुख अपराधी पर लागू होने वाले समान विचार, बूचड़खाने के खिलाफ मामले में समान रूप से लागू नहीं होते हैं।

भारतीय दंड संहिता के तहत के दुष्प्रेरण लिए सजा

बड़े पैमाने पर जनता के लिए, Abetment की एक अलग अवधारणा के रूप में एक अलग अपराध की कोशिश की जा रही है और दंडनीय हो सकता है वास्तव में विचित्र लग सकता है, क्योंकि यह ज्यादातर लोगों में इतना प्रचलित है कि केवल अपराध के अपराधियों को दंडित किया जाएगा। इसके उन्मूलन कानूनों में दंड संहिता स्पष्ट रूप से अनुभागों को स्पष्ट करती है, बड़े पैमाने पर व्याख्या करते हुए, दंडित किए गए कानूनों के अलग-अलग चलता है। वे इस प्रकार हैं:

में भारतीय दंड संहिता की धारा 109 , एक है जो शह मिलती है एक अपराध अपराध के प्राचार्य अपराधी की तरह ही सजा दिया जाता है, तो प्रिंसिपल अपराधी का आपराधिक कृत्य बहकानेवाला द्वारा किए गए प्रलोभन का एक परिणाम के रूप में हुई है। दंड संहिता की धारा 109 ऐसे मामले में लागू होती है, जिसमें इस तरह के हनन की सजा के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया है।

दंड संहिता की धारा 109 प्रासंगिक होने के बावजूद समाप्त हो जाती है, भले ही अपराधी तब अनुपस्थित हो जब अपराध को कम कर दिया जाता है, क्योंकि उसने अपराध के आयोग को उकसाया है या एक साजिश में कम से कम एक या अधिक अलग-अलग लोगों से जुड़ा है अपराध और उस साजिश के अनुसार, कुछ गैरकानूनी कार्य या गैरकानूनी बहिष्कार होता है या उद्देश्यपूर्ण रूप से एक अधिनियम या अवैध निरीक्षण द्वारा अपराध के आयोग की मदद की है।

यह खंड बताता है कि यदि दंड संहिता ने स्वतंत्र रूप से इस तरह के अपमान की सजा को समायोजित नहीं किया है, तो यह मूल अपराध के लिए समायोजित अनुशासन के साथ दंडनीय है। कानून से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह एक विशिष्ट संरचना में है या यह सिर्फ शब्दों में होना चाहिए। दायित्व व्यवहार या आचरण से हो सकता है। क्या वहाँ कोई दायित्व था या नहीं, क्या प्रत्येक मामले के अलग-अलग तथ्यों पर समझौता किया जाना है।

अभियोजन के लिए कानून में यह दिखाना आवश्यक नहीं है कि अलग-थलग रहने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में वास्तविक इरादे की प्रवृत्ति थी और यह था, बशर्ते कि वहाँ पर बाध्यता हो और अपराध किया गया हो या व्यक्तिगत रूप से अपराध किया गया हो जो मुख्य अपराधी था, उसकी मंशा और ज्ञान वैसा ही था जैसा कि उस व्यक्ति द्वारा किया गया था जिसकी संभावना थी।

यह केवल तभी होता है जब यह शर्त पूरी हो जाती है कि एक व्यक्ति को दायित्व द्वारा अपमानित किया जा सकता है। इसके अलावा एक्टस पुनर्विचार के परिणाम के रूप में किया जाना चाहिए या इस धारा के स्पष्टीकरण में दिए गए अनुसार आगे बढ़ना चाहिए।

भारतीय दंड संहिता की धारा ११० यह बताती है कि भले ही अलग किया गया अपराध अपराध के मुख्य अपराधी के इरादे से भिन्न इरादे के साथ अपराध करता हो, फिर भी अपराध करने वाले के लिए अपमानजनक दंड का प्रावधान किया जाएगा। अलग-थलग व्यक्ति की देनदारी इस खंड से प्रभावित नहीं है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 111 में वाक्यांश के चारों ओर अभियोग कानूनों पर विकास जारी है "प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिनियम के कोरलरी परिणामों का इरादा समझा जाता है।" यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य गलत काम को अंजाम देने के लिए एक्ट करता है, और वह अन्य, इस तरह के इंस्ट्रूमेंटेशन के अनुसरण में, न केवल उस गलत काम को अंजाम देता है, बल्कि उसकी उन्नति में एक और गलत काम करता है, तो ऐसे अंतिम उल्लेख के संबंध में पूर्व एक बूचड़खाने के रूप में अपराध करने योग्य है अधर्म, इस घटना में कि यह एक ऐसा व्यक्ति है, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में, उत्पीड़न के समय, मूल अपराध को अंजाम देने के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए जाना जाता है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 112 पिछले अनुभाग में व्यक्त दिशानिर्देशों का विस्तार करती है। इसके तहत, अपमान करने वाले को अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है और अपराध भी किया जाता है। धारा 111, 112 और 133 की एक संयुक्त जांच से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट होता है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध के मामले में किसी अन्य को छोड़ देता है और प्रमुख वहां से आगे चला जाता है और कुछ और हासिल कर लेता है, जिसका कोई वैकल्पिक परिणाम होता है, जो कि निवास स्थान से नियोजित होता है और अपराध को उग्र बनाता है, अभिभावक अपने प्रमुख के कृत्यों के लिए उत्तरदायी होता है।

मुद्दे का सार इस प्रकार की एक जांच है कि क्या बूचड़खाने में उस समय एक समझदार आदमी के रूप में है कि उसे उकसाया जा रहा है या उद्देश्यपूर्ण ढंग से मुख्य अपराधी का समर्थन कर रहा है, उसने उसके अपहरण के संभावित परिणामों की भविष्यवाणी की होगी।

भारतीय दंड संहिता की धारा 113 को धारा 111 के साथ एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। धारा 111 में एक्टस रीस को करना शामिल है, जो एक को समाप्त करने के समान नहीं है, हालांकि यह अनुभाग उस स्थिति का प्रबंधन करता है जब एक्टस पुन: किया जाता है। दोषी अधिनियम को समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसका प्रभाव समान नहीं है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 114 को संभवत: केवल तभी गतिविधि में लाया जाता है जब किसी विशिष्ट गलत कार्य को समाप्त करने की शर्तों को पहली बार साबित किया गया हो, और उसके बाद उस गलत काम के लिए आयोग में अभियुक्तों की उपस्थिति का प्रदर्शन किया जाता है। धारा 114 में इस मामले के बारे में बात की गई है, जहाँ पर अधर्म का अधर्म किया गया है, हालाँकि जहाँ इसके साथ-साथ अधर्म के वास्तविक आयोग का पालन किया गया है और वहाँ पर बूचड़खाना मौजूद है, और जिस तरह से यह इस तरह के मामले का प्रबंधन करता है, वह यह है। अधर्म की परिस्थितियों के साथ अभी भी अधर्म होने के बजाय, अधर्म बहुत ही अधर्म में बदल जाता है। अनुभाग स्पष्ट रूप से दंडात्मक नहीं है।

धारा 114 प्रत्येक स्थिति के लिए प्रासंगिक नहीं है जिसमें अपहरणकर्ता अपराध के कमीशन पर मौजूद है। जबकि धारा 109 एक ऐसा खंड है, जो अपहरण के बारे में बात करता है, धारा 114 उन मामलों पर लागू होती है, जिसमें न केवल अपराध करने वाले आयोग के समय उपस्थित व्यक्ति होता है, बल्कि अभियोग पहले से किया गया था और उसकी उपस्थिति के स्वतंत्र रूप से किया गया था।

भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और भारतीय दंड संहिता की धारा 114 के बीच एक बहुत ही महीन रेखा है। धारा 34 के अनुसार, जहां कई लोगों द्वारा एक आपराधिक कृत्य किया जाता है, सभी के मूल उद्देश्य को बढ़ावा देने में, उनमें से हर एक उत्तरदायी होता है, जैसे कि यह स्वयं अकेले समाप्त हो गया हो; ताकि अगर कम से कम दो या दो से अधिक लोग मौजूद हों, तो हत्या के कमीशन में मदद करना और उनका पालन करना, प्रत्येक को अपराध के मुख्य अपराधी के रूप में दिखाने की कोशिश की जाएगी, हालांकि यह शायद स्पष्ट नहीं होगा कि उनमें से कौन वास्तव में अपराध का अपराधी है।

धारा 114 उस स्थिति के लिए दृष्टिकोण देता है जहां एक व्यक्ति को घृणा द्वारा, गलत कार्य के कमीशन से पहले, खुद को एक निवासकर्ता के रूप में प्रस्तुत करता है, जब एक्टस रीस होता है, तब मौजूद होता है, हालांकि इसके कार्य में कोई सक्रिय भाग नहीं लेता है। हालांकि धारा 34 के तहत आने वाले एक संयुक्त अधिनियम में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक केवल एक आदेश और दूसरे के द्वारा उस आदेश को पूरा करना शामिल नहीं है, जो केवल बाद के अधिनियम का दायित्व हो सकता है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 115 उन विशिष्ट अपराधों के उन्मूलन को अपराधी बना देती है जो या तो प्रतिबद्ध नहीं हैं, या केवल अभियोग के अनुसरण में प्रतिबद्ध नहीं हैं या केवल भाग में प्रतिबद्ध हैं।

इस खंड में चर्चा की गई निरोध एक ऐसे शब्द के लिए है जो सात साल तक फैल सकता है, और ठीक इसी तरह से इसे ठीक करने के लिए बाध्य किया जाएगा। क्या अधिक है, यदि कोई अधिनियम जिसके लिए बूचड़खाना है, जिसके परिणाम में दुर्व्यवहार के लिए उत्तरदायी है, और जो किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है, किया जाता है, बूचड़खाना किसी भी विवरण के कारावास के लिए उत्तरदायी होगा जो चौदह साल तक बढ़ सकता है। और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। एक्सप्रेस प्रोविजन 'उन वर्गों के लिए दृष्टिकोण है जिसमें स्पष्ट रूप से मृत्यु के साथ दंडनीय अपराधों के उन्मूलन या जीवन के लिए हिरासत की बात की जाती है। इस तरह के एबेटमेंट 'सेक्शन में खुद को इंगित किए गए अपराध के उन्मूलन के लिए दृष्टिकोण, विशिष्ट होने के लिए, मृत्यु या जीवन के लिए हिरासत के साथ अपराध।

भारतीय दंड संहिता की धारा ११६ में बंदी के साथ दंडनीय अपराध का प्रावधान है। केवल जुर्माने की सजा के साथ अपराध संहिता की पहचान करने वाले संहिता में कोई समान खंड नहीं है। तथ्य की तीन अलग-अलग स्थितियां एक घृणा के बाद उभर सकती हैं:

1. कोई अपराध नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति के लिए, गलत को गलत ठहराने के लिए दंड संहिता की धारा 115 और 116 के तहत दंडनीय अपराध है।
2. जिस अधिनियम को लक्षित किया गया है, वह बहुत ही कमिटेड हो सकता है, और दंड संहिता की धारा 109 और 110 के तहत दोषी होगा।
3. कुछ एक्ट असाधारण है, लेकिन एक्ट से अलग किया गया है, जो समाप्त हो गया था, जिस स्थिति में एबटोर को धारा 111,112 और 113 की सजा के तहत लाने की कोशिश की जाएगी।

दंड संहिता की धारा 116 और 306

दंड संहिता की धारा 116 "अपराध के साथ अपराध की समाप्ति है अगर अपराध नहीं किया गया है।" लेकिन धारा 306 के तहत अपराध का मूल अभय है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो, यदि कोई वशीकरण नहीं है, तो धारा 306 के तहत एक अभिन्न कारक बनने पर कोई संदेह नहीं है। यह एक घृणा का अभियोग है। इस प्रकार धारा 306 के साथ पढ़ी गई धारा 116 के तहत अपराध नहीं हो सकता।

सतवीर सिंह बनाम पंजाब राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने कभी भी यह निर्धारित नहीं किया है कि किसी भी हालत में दंड संहिता की धारा 511 के साथ पढ़ी गई धारा 306 के तहत अपराध नहीं किया जा सकता है। आत्महत्या और एक दृष्टिकोण से आत्महत्या के कमीशन और दूसरे पर इसके प्रयासों के आत्महत्या के प्रयास को कानून द्वारा विविध रूप से निपटाया जाता है और इसलिए आत्महत्या के असफल प्रयास के कमीशन का पालन करने वाले व्यक्ति को केवल धारा के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है 309

दंड संहिता की धारा 116 के साथ पढ़ा। कानून की योजना को वास्तविक बनाने के लिए, उसे दंड संहिता की धारा 511 के साथ धारा 306 के तहत दोषी ठहराया जाना चाहिए।

दंड संहिता की धारा 117 में आम जनता द्वारा या दस से अधिक लोगों द्वारा अपमान किए जाने की चर्चा है। Abetment में एक व्यक्ति या व्यक्ति दोनों का उल्लेख किया गया है, और अपराध या अपराधों के लिए कमीशन जिसका अपमान किया गया है। यह खंड पिछले का प्रबंधन करता है, जो भी अपराध का विचार हो सकता है, जबकि धारा 115 संबंधित व्यक्ति के संबंध में उत्तरार्द्ध के साथ संबंधित है।

इस धारा के तहत यह किसी भी दायित्व या अन्य तरीकों का प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त होगा, हालांकि न तो प्रभाव प्रस्तावित है, और न ही कुछ अन्य प्रभाव इसका अनुसरण करते हैं। इस धारा के तहत एक आरोप के ग्रेवमैन केवल वशीकरण, सामान्य जंगल के लिए बाध्यता है, न कि उस विशेष अपराध के बारे में जो आयोग प्रेरित है। यह खंड सभी अपराधों को कवर करता है और किसी भी संख्या में दस लोगों को पार करने के लिए एक सामान्य व्यवस्था है।

ऐसी स्थिति में जहां दस से अधिक लोग मौत की सजा के लिए अपराध करने के लिए प्रेरित होते हैं, अपराध धारा 115 के तहत उसी तरह से होता है जैसे यह इस धारा के तहत आता है। हत्या की आयोग की योग्यता, चाहे एक एकांत व्यक्ति द्वारा या धारा ११५ के तहत दस गिरते हुए व्यक्तियों के एक वर्ग द्वारा।

उत्तरार्द्ध मामले में यह इस धारा के तहत भी गिर सकता है, हालांकि जैसा कि यह खंड कम सजा की सिफारिश करता है, धारा 115 इस तरह के अपराध के लिए अधिक उपयुक्त व्यवस्था है। यद्यपि दोनों ही खंड प्रासंगिक हैं, एक समान आपराधिक कृत्य के लिए दो वर्गों के तहत असतत वाक्य नहीं हो सकते हैं, और सजा उस धारा के तहत उचित रूप से होनी चाहिए जो उच्च सजा देता है।

अवध के पिछले मुख्य न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि इस धारा के तहत जारी रखना अवैध है जो भारतीय अपराध की धारा 9 के प्रावधानों द्वारा एक हल्का और अलग दंड दिए जाने के अपराध की उच्च सजा की अनुमति देता है। नमक अधिनियम।

मात्र इरादा या उकसाने की तैयारी न तो अस्थिरता है और न ही घृणा। पत्रक को चिपकाकर इस धारा के तहत अपराध का गठन करने के लिए, यह आवश्यक है कि या तो जनता को पत्रक पढ़ना चाहिए या उन्हें सार्वजनिक टकटकी के संपर्क में आना चाहिए था।

अध्याय V

अपराधों से निपटने के लिए, आपराधिक कानून में अपराध के कमीशन के चरणों को समझने की आवश्यकता है। एक अपराध के चार चरण हैं-

1. मेन्स का फॉर्मेशन पढ़ा।
2. प्रारंभिक चरण।
3. तैयारी या 'प्रयास' के अनुसार कार्य करना
4. चोट लगने का कारण [३]

अलग-अलग चरणों के लिए अलग-अलग दंड संहिता और बाद में दंड के क्रम को तय करने के लिए विभिन्न दंड संहिताएँ एक अलग रास्ता चुनेंगी। कभी-कभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के उकसाने पर अपराध करता है, जबकि कुछ अन्य व्यक्ति केवल अपराध के कमीशन के समय मदद के लिए वहां मौजूद हो सकते हैं, और फिर भी, कुछ अन्य व्यक्ति उपकरण खरीदने में प्रमुख अपराधी की मदद कर सकते हैं। इसलिए, भागीदारी की प्रकृति और डिग्री को चिह्नित करना आवश्यक हो जाता है। अन्य इंचोएट अपराधों की तरह, वशीकरण एक प्रारंभिक अपराध है और आत्म-अपराध नहीं है।

'अभियोग' को केवल अपराध नहीं कहा जा सकता। यह एक अवधारणा है जो किसी चीज को करने और आत्महत्या करने के लिए अपमान करने जैसे अपराधों के निर्माण का एक आधार प्रदान करती है। [४] औचित्य आपराधिक कानून के दायरे को चौड़ा करने के लिए है ताकि किसी अपराध की तैयारी के चरणों में कुछ दंडात्मक प्रतिबंध हों। अपहरण पर IPC का अध्याय V एक आपराधिक कृत्य के विभिन्न ग्रेडेशन पर विचार करता है, जिसमें माना गया है कि एक अलग व्यक्ति है और सीधे अधिनियम में शामिल नहीं है।

अध्याय V में धारा 107-120 भारतीय दंड संहिता में उल्लिखित अपराध, सजा अवधि और अन्य विवरणों की परिभाषा से संबंधित है । आईपीसी की धारा ***१०8*** में ***किशोरी लाल v. राज्य के*** मामले में एक व्याख्या करने के लिए अभियोग को परिभाषित किया गया है **/** [५]

- *धारा 108* इस बारे में बात करती है कि कब अपराध खत्म हो जाए। *धारा 108-ए* एक विदेशी देश में किए गए अपराध के लिए कोड को अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र देता है।

- *धारा 109* में सजा की अवधि बताई गई है जबकि *धारा 110* एक आपराधिक कृत्य के लिए सजा को निर्धारित करता है जो ज्ञान और इरादों के एक अलग सेट के साथ समाप्त होता है और ज्ञान और इरादे के एक अलग सेट के साथ प्रतिबद्ध होता है।
- *धारा 111 में* अभियोग के अनपेक्षित संभावित परिणाम को दंडित किया गया है जो *धारा 113* द्वारा पूरक है ।
- यदि वह अपराध के आयोग के समय उपस्थित होता है तो *धारा 114* मुख्य अपराध के लिए संयोजक को उत्तरदायी बनाती है।
- धारा ११५ और ११६ निरस्तीकरण के लिए अलग से दंडनीय है, यदि अपराध नहीं किया गया है।
- धारा 117 आम तौर पर या व्यक्तियों के बड़े समूहों द्वारा जनता के अपराधों के उन्मूलन से संबंधित है।
- धारा 118 एक गंभीर अपराध करने के लिए दूसरे में एक डिजाइन के अस्तित्व को छिपाने के लिए दंड को निर्धारित करता है।
- धारा 119 और 120 लोक सेवकों और अन्य के मामले में सजा के लिए क्रमशः किसी अन्य व्यक्ति में एक डिजाइन को छिपाने के लिए एस 118 द्वारा कवर नहीं किए गए अपराध के लिए प्रदान करते हैं।

घृणा का *अपराध* आईपीसी में प्रदान किया गया एक *अलग और विशिष्ट अपराध है* [6] । एक व्यक्ति किसी चीज़ को करने से रोकता है जब (1) वह किसी भी व्यक्ति को उस चीज़ को करने के लिए ***उकसाता*** है; या (2) उस चीज़ को करने के लिए किसी भी साजिश में एक या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ ***संलग्न*** होता है; या (3) ***जानबूझकर सहायता*** , कार्य या अवैध चूक से, उस चीज का करना, ये चीजें एक पूर्ण अपराध के रूप में घृणा के अनिवार्य हैं। घृणा का अर्थ एक अलग और विशिष्ट अपराध है, अपराध की तैयारी के चरणों को दंडित करने के पीछे तर्क का पुनर्मूल्यांकन है ताकि कानून न केवल सिद्धांत में, बल्कि व्यवहार में भी एक बाधा हो। [ment]

• दुष्प्रेरण के तत्व

वशीकरण का अपराध उस व्यक्ति के इरादे पर निर्भर करता है जो कि पालन करता है, न कि उस अधिनियम पर जो वास्तव में उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसे वह पालता है।

इस खंड के पहले दो खंडों के प्रयोजनों के लिए, यह सारहीन है कि उकसाया गया व्यक्ति अपराध करता है या नहीं या एक साथ साजिश करने वाले व्यक्ति वास्तव में साजिश के उद्देश्य को पूरा करते हैं। यह केवल उस व्यक्ति के अपराध के मामले में है, जो जानबूझकर दूसरे को यह अपराध करने के लिए सहायता देता

है कि उसके खिलाफ अपमान का आरोप विफल होने की उम्मीद होगी जब उस व्यक्ति ने अपराध किया है जो उस अपराध से बरी हो गया है।

अदालत ने कहा कि **असम के फगुना कांता नाथ बनाम राज्य में** अपीलार्थी को धारा 165 ए के तहत अपराध के लिए एक अधिकारी द्वारा अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसे बरी कर दिया गया था, और यह माना गया था कि अपीलकर्ता की सजा अबेटमेंट भी मेंटेनेंस योग्य नहीं था। लेकिन बाद में जमुना सिंह बनाम बिहार राज्य में, यह धारण करने के लिए वांछनीय नहीं माना जाता था कि अगर किसी व्यक्ति को वास्तव में अपराध किया जाता है, तो एक बाप को दंडित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि बूचड़खाने का अपराध अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है और घृणा का तरीका है।

यह केवल जानबूझकर सहायता के मामलों में है कि बूचड़खाने को मुख्य अपराधी के साथ बरी करना होगा। सत्तारूढ़ इस राज्य के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल एबेटोर को बरी करने का आदेश दिया जब मुख्य अपराधी के रूप में अन्य सभी बूचड़खाने पहले से ही बरी हो गए।

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि किसी को भी आत्महत्या के लिए दंडित किया जा सकता है; यह साबित होना चाहिए कि प्रश्न में मृत्यु एक आत्मघाती मौत थी। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अपमान का अपराध एक अलग और स्वतंत्र अपराध है। जहां अपमान के परिणाम में अपराध किया जाता है, लेकिन इस तरह के अपमान की सजा का कोई प्रावधान नहीं है, अपराधी को मूल अपराध के लिए दंडित किया जाना है।

बहकानेवाला

दंड संहिता के तहत अभियोग में उस अपराध के वास्तविक आयोग से पहले के समय में बूचड़खाने की ओर से सक्रिय जटिलता शामिल है, और यह घृणा के अपराध का सार है कि बूचड़खाने को प्रमुख अपराधी के लिए पर्याप्त सहायता करनी चाहिए अपराध का कमीशन। कहीं भी, इस तरह की भागीदारी के बिना दूसरे के आपराधिक कृत्यों में सहमति आपराधिक अधिनियम या उद्देश्य को प्रभावी करने में मदद करती है, संहिता के तहत दंडनीय है।

एबेटोर की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 108 में दी गई है । इस सेक्शन के तहत एबेटोर का अर्थ है, वह व्यक्ति जो (1) अपराध का कमीशन देता है, या (2) एक अधिनियम का कमीशन, जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी शारीरिक या मानसिक अक्षमता से पीड़ित नहीं होने पर अपराध होगा। पूर्ववर्ती अनुभाग के प्रकाश में, वह एक भड़काने वाला या एक साजिशकर्ता या एक जानबूझकर सहायक होना

चाहिए। महज इसलिए कि आरोपी का भाई अपने घर में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, अपीलकर्ता को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसकी जटिलता दिखाने के लिए कुछ सामग्री न हो। इस खंड को पाँच स्पष्टीकरणों के साथ जोड़ा गया है जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

व्याख्या १

यदि एक लोक सेवक कोड द्वारा दंडित किए गए कर्तव्य की अवैध चूक के लिए दोषी है, और एक निजी व्यक्ति उसे उकसाता है, तो वह उस अपराध को समाप्त कर देता है जिसमें इस तरह का लोक सेवक दोषी है, हालांकि अपहरणकर्ता, एक निजी व्यक्ति होने के नाते, खुद नहीं कर सकता था उस अपराध का दोषी है।

व्याख्या २

एबेटोर के अपराध के बारे में सवाल एक्ट की प्रकृति पर निर्भर करता है और जिस तरीके से एबेटमेंट किया गया था। निरस्त किए गए अपराध के लिए आवश्यक नहीं है। घृणा का अपराध पूरी तरह से इस बात के बावजूद है कि व्यक्ति ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है, या ऐसा करने में अनजाने में विफल रहता है, या यह नहीं करता है और अपेक्षित परिणाम का पालन नहीं करता है। उदाहरण के तौर पर गर्भपात करने का अपराध उस व्यक्ति के इरादे पर निर्भर करता है, जो उस व्यक्ति का पालन करता है, न कि उस अधिनियम पर जो वास्तव में उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिस पर वह निवास करता है।

व्याख्या ३

इस स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि एबेट किए गए व्यक्ति को एक्ट को समाप्त करने में कोई दोषी इरादा नहीं है। यह आम तौर पर वशीकरण के लिए लागू होता है और यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि यह केवल इंस्टीट्यूशन के द्वारा ही लागू होता है, न कि अन्य प्रकार के वशीकरण पर। घृणा का अपराध उस व्यक्ति के इरादे पर निर्भर करता है जो वह उसके लिए कार्य करता है।

व्याख्या ४

व्याख्या को इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए: "जब अपराध का उन्मूलन एक अपराध है, तो इस तरह के अपमान का अपराध भी एक अपराध है"। दंड संहिता की धारा 108 के तहत बताए गए स्पष्टीकरण 4 के मद्देनजर, अभियुक्तों का तर्क है कि किसी भी तरह का अपमान नहीं किया जा सकता है आपराधिक न्यायशास्त्र के लिए अज्ञात है, कोई गुण और विचार नहीं रखता है।

सजा में शामिल लोगों को सजा देने का औचित्य

यह बिना यह कहे चला जाता है कि अपराधियों के एक समूह के लिए खतरा किसी एक व्यक्ति द्वारा खतरे से अधिक है। यदि हम इस परिदृश्य में गहराई से गोता लगाते हैं, तो हम यह पता लगा सकते हैं कि एक टीम या अपराधियों का गिरोह एक ही अपराधी की तुलना में सफल होने की अधिक संभावना क्यों है। सबसे पहले, अपराध करने वाला एक भी व्यक्ति अपराध को अंजाम देने के मामले में सीमित होगा क्योंकि वह हर चीज का पूर्वाभास नहीं कर पाएगा। वह अपनी योजना के इर्द-गिर्द काम करने की कोशिश करेगा जो एक बहुत ही संकीर्ण दृष्टि वाले निष्पादन के साथ आगे बढ़ेगा।

एक अपराधी के विपरीत, कल्पना कीजिए कि अपराधियों का एक गिरोह कितनी संभावनाएं खोल सकता है। हर एक अपने विचार के बारे में सोच सकता है और सभी के संयोजन में एक पूरी तरह से मूर्ख योजना के साथ आ सकता है। इसके अलावा, एक ऐसा पहलू जिसे मोटे तौर पर नजरअंदाज किया जा सकता है, वह अपराध का प्रोत्साहन पक्ष है। जब कोई अपने आप से सभी कार्य कर रहा होता है, तो वह बहुत कम होता है कि वह अपने प्रोत्साहन को बढ़ा सके लेकिन जब लोगों का एक समूह एक साथ एक मिशन पर होता है, तो प्रेरणा खोना एक दुर्लभ दृश्य होगा।

• दुष्प्रेरण और एक आम इरादे के बीच अंतर

- घृणा एक अकेला अपराध है और सभी को खुद ही दंडित किया जा सकता है, लेकिन एक सामान्य इरादा अपने आप में कोई अपराध नहीं है और इसे अन्य अपराधों के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए।
- अबेटमेंट के लिए, अभियुक्त अपराध स्थल पर उपस्थित नहीं हो सकता है, लेकिन आम इरादे के तहत, उसकी उपस्थिति एक अनिवार्य तत्व है और सक्रिय रूप से या निष्क्रिय रूप से भाग लेते हैं।

- अबेटमेंट के लिए, अपराध करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सामान्य इरादे के लिए, अपराध को प्रतिबद्ध होना चाहिए।

भारतीय दंड संहिता के तहत दुष्प्रेरण के प्रकार

उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण

किसी व्यक्ति को किसी अन्य कार्य के लिए 'उकसाने' के लिए कहा जाता है, जब वह सक्रिय रूप से भाषा के किसी भी माध्यम से उसे सक्रिय रूप से सुझाव देता है या उत्तेजित करता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वह व्यक्त आग्रह का रूप ले, या संकेत का, आग्रह या प्रोत्साहन का।

कानून को उस इंस्टेंशन की आवश्यकता नहीं है, इंस्टीट्यूशन द्वारा एबेटमेंट के मामले में, विशेष रूप में होना चाहिए या यह केवल शब्दों में होना चाहिए और आचरण से नहीं हो सकता है; मिसाल के तौर पर, एक गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा कांस्टेबल को पिटाई या पैसे की पेशकश करने का संकेत देने वाला एक मात्र इशारा उसे गिरफ्तार करने के लिए एक मामले में और दूसरे में रिश्वत लेने के लिए, उदाहरण के रूप में माना जा सकता है। क्या कोई मामला था या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्णय लिया जाना है। हालाँकि, यह आवश्यक नहीं है कि अभियोजन पक्ष के लिए, यह साबित करने के लिए कि अभय व्यक्ति के दिमाग में वास्तविक ऑपरेटिव कारण था, और कुछ नहीं है, इसलिए जब तक कि वहाँ कोई दायित्व था और अपराध किया गया है या अपराध है प्रतिबद्ध किया गया होता, यदि अधिनियम करने वाले व्यक्ति में बूचड़खाने के समान ज्ञान और इरादा होता।किसी भी मानव ट्रिब्यूनल के लिए यह तय करना असंभव है कि वास्तव में उस व्यक्ति के दिमाग में उकसावे का भार कितना है, जब उसने कृत्य या अपराध किया था। उच्च अधिकारियों, अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों की सूचना लाने के लिए मात्र आयोग, उनके खिलाफ विभागीय तरीके से अनुशासनात्मक कार्रवाई की नींव रख सकता है, लेकिन यह कानून की राशि में उनके साथी क्लर्क द्वारा किए गए अपराध के उन्मूलन के लिए नहीं हो सकता है।लेकिन यह कानून की राशि में अपने साथी क्लर्क द्वारा किए गए अपराध के उन्मूलन के लिए नहीं है।लेकिन यह कानून की राशि में अपने साथी क्लर्क द्वारा किए गए अपराध के उन्मूलन के लिए नहीं है।

ज़िम्मेदारी आगे बढ़ाने, उकसाने, उकसाने या "एक्ट" करने के लिए प्रोत्साहित करने की है। "दायित्व" की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि वास्तविक शब्दों का उपयोग उस प्रभाव के लिए किया जाना चाहिए या "दायित्व" का गठन आवश्यक रूप से और विशेष रूप से परिणाम का

विचारोत्तेजक होना चाहिए। फिर भी परिणाम को उकसाने के लिए एक उचित निश्चितता को वर्तनी में सक्षम होना चाहिए।

जहां अभियुक्त को उसके कृत्यों या चूक या आचरण के निरंतर पाठ्यक्रम के द्वारा, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं कि मृतक को आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा, इस स्थिति में, "दायित्व" का अनुमान लगाना पड़ सकता है। वास्तव में पालन करने के परिणामों के इरादे के बिना क्रोध या भावना के एक फिट में बोला गया शब्द, उदाहरण के लिए नहीं कहा जा सकता है।

इस प्रकार, 'प्रवृत्ति' का गठन करने के लिए, दूसरे को उकसाने वाले व्यक्ति को दूसरे के द्वारा "गोलमाल" या 'आगे बढ़ने' का आग्रह करने के लिए उकसाना, उकसाना, आग्रह करना या प्रोत्साहित करना होता है। किसी व्यक्ति को घृणा करने के लिए दोषी ठहराने के लिए यह स्थापित किया जाना चाहिए कि उसने जानबूझकर ऐसा कुछ किया है, जो एक चीज करने के लिए दूसरे को उकसाने के लिए होता है। किसी अनजान व्यक्ति पर भी जिम्मेदारी हो सकती है। एक मात्र अनुमति के लिए राशि नहीं होती है।

विलफुल मिसरेस्ट्रेशन या विलफुल कंसीलरेशन

इस खंड के स्पष्टीकरण 1 में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो (1) विलफुल गलत बयानी, या (2) एक भौतिक तथ्य के बारे में जानबूझकर छुपाता है, जिसका वह खुलासा करने के लिए बाध्य है, स्वेच्छा से कारण बनता है या खरीदता है, या एक चीज होने या खरीदने की कोशिश करता है। कहा जाता है कि उस चीज को करने के लिए उकसाया जाता है। 'वसीयत छुपाने' के द्वारा की गई ज़िम्मेदारी कुछ कर्तव्य मौजूद होती है जो किसी व्यक्ति को एक तथ्य का खुलासा करने के लिए बाध्य करती है।

सुपीरियर अधिकारियों से उत्पीड़न

मृतक एक योग्य इंजीनियर था जिसे लगातार उत्पीड़न और अपमान का सामना करना पड़ा था और उसे अभियुक्तों द्वारा की गई लगातार अवैध मांगों को भी सहना पड़ता था और उसकी पूर्ति नहीं होने पर वह आरोपी द्वारा लंबे समय तक निर्दयतापूर्वक उत्पीड़न किया जाता था। इस तरह के उत्पीड़न ने शब्दों के उच्चारण को इस आशय के साथ जोड़ा कि, उनकी जगह कोई अन्य व्यक्ति होता, तो वह निश्चित रूप से आत्महत्या कर लेता। में **मदन मोहन सिंह v। गुजरात के राज्य** , मृतक माइक्रोवेव परियोजना विभाग में एक ड्राइवर था।

उन्होंने अपने दिल के लिए एक बाईपास सर्जरी की थी, ऐसी घटना की घटना से ठीक पहले, उनके डॉक्टर ने उन्हें किसी भी तनावपूर्ण कर्तव्य के खिलाफ सलाह दी थी। आरोपी मृतक एक बेहतर अधिकारी था। जब

मृतक अभियुक्तों के आदेशों का पालन करने में विफल हो गया, तो आरोपी बहुत क्रोधित हो गए और मृतक को निलंबित करने की धमकी दी, उसकी बात न मानने पर उसे कड़ी फटकार लगाई। आरोपी ने मृतक से यह भी पूछा कि अपमानित होने के बावजूद भी उसने जीने की इच्छाशक्ति कैसे पाई। ड्राइवर ने की आत्महत्या

आरोपियों के खिलाफ किसी भी आरोप में घर लाने के उद्देश्य से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आशय के आरोप होने चाहिए कि अभियुक्त ने मृतक को किसी तरह से उकसाया, आत्महत्या करने के लिए, या साजिश में कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करने के लिए उकसाया। ऐसा करो, या कि आरोपी ने किसी तरह से कोई काम किया है या अवैध ओशन उक्त आत्महत्या का कारण है। यदि किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ के काम के बारे में टिप्पणियों को आत्महत्या के लिए घृणा कहा जाता है, तो वरिष्ठ अधिकारियों को वरिष्ठ कर्मचारियों के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना लगभग असंभव हो जाएगा।

यह पता लगाने के लिए कोई स्ट्रेट-जैकेट फॉर्मूला नहीं रखा जा सकता है कि क्या किसी विशेष मामले में ऐसी घटना हुई है जो व्यक्ति को आत्महत्या के लिए मजबूर करती है। किसी विशेष मामले में, प्रत्यक्षीकरण के संबंध में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकते हैं जो आत्महत्या के लिए प्रत्यक्ष सांठगांठ हो सकता है। इसलिए, ऐसे मामले में, परिस्थितियों से एक अनुमान निकाला जाना है और यह निर्धारित करना है कि क्या परिस्थितियां ऐसी थीं जो वास्तव में ऐसी स्थिति पैदा कर दी थीं कि एक व्यक्ति ने पूरी तरह से निराश महसूस किया और आत्महत्या कर ली।

षडयंत्र द्वारा दुष्प्रेरण

'षडयंत्र' में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के गैरकानूनी काम करने या गैरकानूनी तरीकों से कानूनन कार्रवाई करने के समझौते शामिल हैं। जब तक इस तरह के डिजाइन केवल इरादे में रहते हैं, तब तक यह अविश्वसनीय नहीं है। जब दो इसे लागू करते हैं, तो बहुत ही कथानक स्वयं एक अधिनियम होता है, और प्रत्येक पक्ष का कार्य, वादे के खिलाफ वादा करता है, लागू होने में सक्षम है, यदि कानूनन, किसी आपराधिक वस्तु के लिए या आपराधिक साधनों के उपयोग के लिए दंडनीय है । यह जरूरी नहीं है कि एबिटर उस व्यक्ति के साथ अपराध को अंजाम दे, जो इसे करता है। यह पर्याप्त है यदि वह साजिश में संलग्न है, जिसमें अपराध किया गया है। जहां पार्टियां एक साथ कॉन्सर्ट करती हैं, और एक कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, वहीं कॉमन ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने और कॉन्सर्ट प्लान को आगे बढ़ाने के लिए किया जाने वाला एक पार्टी का एक्ट सभी का काम है।

साजिश की शुरुआत से पहले, धारा 121A , 311 , 400 , 401 , 402 के द्वारा प्रदान किए गए मामलों को छोड़कर , संहिता की एक मात्र प्रजाति थी, जब उस षड्यंत्र के अनुसरण में एक अधिनियम या अवैध चूक हुई थी, और इसकी राशि थी प्रत्येक अलग-अलग अपराध के लिए एक अलग अपराध साजिश द्वारा समाप्त कर दिया।

इस धारा के दूसरे खंड के तहत अपराध के लिए व्यक्तियों या समझौते का एक मात्र संयोजन पर्याप्त नहीं है; एक अधिनियम या गैरकानूनी चूक उस साजिश के अनुसरण में होनी चाहिए, और प्रत्येक अलग-अलग अपराध के लिए एक अलग अपराध की राशि होगी।

इस खंड के दूसरे खंड के तहत अपराध के लिए, व्यक्तियों या समझौते का एक मात्र संयोजन पर्याप्त नहीं है; साजिश के अनुसरण में एक अधिनियम या अवैध चूक होना चाहिए। लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा १२० ए के तहत अपराध के लिए , यदि समझौता करना है, तो एक समझौता ही काफी है।

अबेटमेंट और कॉन्सपिरेसी के अंतर पर चर्चा करते हैं। आपराधिक षड्यंत्र दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक समझौते को करता है, या करने का कारण बनता है, एक अवैध कार्य या एक अधिनियम जो अवैध तरीकों से अवैध नहीं है। यह अन्य अपराधों से अलग है क्योंकि मात्र समझौते को अपराध बना दिया जाता है, भले ही उस समझौते को पूरा करने के लिए कोई कदम न उठाया गया हो।

यद्यपि भड़काऊ और घृणा के साथ षड्यंत्र का घनिष्ठ संबंध है, लेकिन आपराधिक साजिश के अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के तहत चिंतन द्वारा साजिश से घृणा की तुलना में आयाम में व्यापक है । भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी और धारा 109 के बीच कोई समानता नहीं है । एक साजिश में घृणा का एक तत्व हो सकता है; लेकिन साजिश एक घृणा से अधिक कुछ है।

जानबूझकर सहायता द्वारा दुष्प्रेरण

दंड संहिता की धारा 107 में दी गई अवहेलना की परिभाषा में न केवल दायित्व शामिल है, बल्कि अवैध चूक से जानबूझकर सहायता भी शामिल है। तदनुसार, अपीलकर्ता, किसी व्यक्ति को अधिक दयनीय जीवन से बचने और अपने जीवन को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं करने के लिए चरम कदम उठाने के लिए उकसाने या मजबूर करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, आत्महत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी था। ।

ऐसे मामले में जहां एक महिला अधिवक्ता अपने वरिष्ठ अधिवक्ता के कक्ष में उपस्थित थी। घटना के दिन वह अपने आवास पर आरोपी के साथ बात कर रही थी। उस क्षण उसकी उपस्थिति में, उसने उस पर मिट्टी का तेल डाला और खुद को आग लगा ली। आरोपी ने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया। यह माना जाता था कि यह "अवैध चूक" की राशि नहीं थी और उन्हें आत्महत्या के लिए दोषी नहीं ठहराया गया था।

अन्य कानूनों के तहत अपराधों का उन्मूलन

सहायता और पालन का अपराध सभी वैधानिक अपराधों पर लागू होता है जब तक कि विशेष रूप से क़ानून द्वारा बाहर नहीं किया जाता है और तदनुसार इसे अंग्रेजी लोक व्यवस्था अधिनियम 1986 द्वारा बनाए गए अपराधों पर लागू करने के लिए आयोजित किया गया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराध का उन्मूलन किया जा सकता है। एक गैर-लोक सेवक द्वारा। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अभियोगकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना है।

प्रयास

केवल इसलिए कि यह खंड "यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है" शब्दों के साथ खुलता है, तो यह नहीं माना जा सकता है कि अनुपयुक्त आत्महत्या के मामले में आत्महत्या के आयोग को समाप्त करने का कोई प्रयास नहीं है। आत्महत्या और उसका प्रयास, एक ओर, और आत्महत्या के कमीशन का हनन और दूसरे पर उसका प्रयास कानून द्वारा अलग तरह से व्यवहार किया जाता है और इसलिए जो आत्महत्या करने के असफल प्रयास के आयोग का पालन करता है, उसे दंडनीय नहीं ठहराया जा सकता है। धारा 309 आईपीसी की धारा 116 के साथ पढ़ी गई ।

कानून की योजना को लागू करने के लिए उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 511 के साथ पढ़े जाने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत दंडनीय ठहराया गया है । सतवीर सिंह बनाम पंजाब राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने कभी यह शर्त नहीं रखी कि किसी भी परिस्थिति में दंड संहिता की धारा 511 के साथ पढ़े जाने वाले दंड संहिता की धारा 306 के तहत अपराध किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के पास यह विचार करने का अवसर नहीं था कि क्या आत्महत्या के आयोग को समाप्त करने के प्रयास के लिए एक अपराध दंड संहिता की धारा 511 के साथ पढ़ी गई धारा 306 के तहत दंडनीय है।

आपराधिक धमकी के साथ किया गया अधिनियम अभियोग नहीं है

अवैध संतुष्टि, दुर्भाग्य से, प्रणाली में एक सामान्यीकृत अभ्यास है। अब यह प्रथा रिश्वत देने वाले को कुछ गैरकानूनी काम करने के लिए प्रेरित करती है, भले ही रिश्वत उनसे ली गई हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***दलपत सिंह बनाम राजस्थान राज्य*** [8] के मामले में इस दुविधा को स्पष्ट किया :

जिन लोगों ने अपीलकर्ताओं (रिजर्व पुलिस कांस्टेबल) को अवैध रूप से संतुष्टि दी, उन्हें (रिश्वत) उसी के रूप में पूरा नहीं किया जा सकता है। [९]

मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि दुष्प्रेरण के अपराध करने की तीन रणनीतियाँ हैं

- **उकसाना**
- **षड्यंत्**
- **जानबूझकर सहायता**

उकसाना

किसी को उकसाने का शाब्दिक अर्थ है उकसाना, उकसाना, आग्रह करना या कुछ भी करने के लिए राजी करना। ***संजू बनाम*** के मामले में 'इंस्टीट्यूट' शब्द की व्याख्या की गई है ***। राज्य के सांसद*** [10] एक तर्क दे सकता है कि एक्टस रीस और मेन्स रीस का एक ही व्यक्ति में विलय नहीं होता है, इसलिए, एक काम करने के लिए घृणा नहीं होनी चाहिए एक गुनाह। *अस्थिरता से घृणा करने में, अपराध की तैयारी के चरण के लिए बूचड़खाने की कुछ सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए* ।

इसे मोटे तौर पर घृणा के अपराध में एक्टस रीस के रूप में माना जाता है, जो कुछ करने या अवैध रूप से छोड़े जाने के इरादे से संयुक्त रूप से पूर्ण आपराधिक अपराध होगा। हालाँकि, इस बात के पर्याप्त प्रमाण होने की आवश्यकता है कि व्यक्ति ने अपराध करने के लिए व्यक्ति पर जानबूझकर प्रभाव डाला है और उसके साथ ज़बरदस्ती की है [11], लेकिन साथ ही, यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति को दोषी माना जाए, वही दोषी है।] एबेट किया गया व्यक्ति पूरी तरह से इरादे और ज्ञान का एक अलग सेट हो सकता है, फिर भी, अपराध के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि तैयारी चरण को निष्पादन चरण के लिए अलगाव से निपटा जा रहा है। [१३]

अपराध के पहले दो चरणों के भीतर बूचड़खाने का पूरा दायित्व तय किया जाता है। अब भले ही निष्पादन को एक अलग परिणाम मिलता है, अपराध किया गया है। जब केवल सक्रिय रूप से सुझाव देना या अपराध को प्रोत्साहित करना हो, तब ही उन्हें दायित्व सौंपने की सलाह। मात्र अधिग्रहित करने के लिए दायित्व नहीं होता है। **पुरुषों की पुनरावृत्ति की उपस्थिति एक आवश्यक दायित्व है।** [14]

किसी भी घटना में, मामले में प्रतिवादी की आपराधिक जिम्मेदारी का निर्धारण करने में, न केवल अपने आप में एक आदेश / सुझाव / प्रस्ताव की आपराधिकता निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है, बल्कि यह भी कि ऐसा आदेश उसके चेहरे पर आपराधिक था या नहीं। आपराधिक कानून इस तथ्य पर भी निर्भर करता है कि ज्यादातर बार लोगों की स्वतंत्र इच्छा होती है। [१५]

हिगिंस [16] के मामले में **लॉर्ड केनियन** ने कहा कि, *"बुराई करने का इरादा केवल एक कृत्य के बिना, अनिष्टकारी नहीं है; लेकिन क्या कोई कृत्य नहीं किया गया है, जब यह आरोप लगाया जाता है कि प्रतिवादी ने एक और अपराध करने का आग्रह किया है? याचना एक ऐसा कार्य है जो उच्च राजद्रोह का एक अति कार्य है। "*

धारा 107 के पहले दो खंडों के लिए अपराध का आयोग आवश्यक नहीं है

- यह सारहीन है कि अपराध के लिए उकसाया गया व्यक्ति अपराध करने के लिए आगे बढ़ता है या एक साथ मिलकर साजिश रचने वाली वस्तु को अंजाम देता है। [१iracy] अपराध के रूप में अभद्रता अपने आप में एक पूर्ण है। [१ When] जब कथित बूचड़खाने ने दूसरे को उकसाया हो। एक दूसरे के साथ मिलकर एक अपराध करने की साजिश में। यह घृणा के अपराध के लिए आवश्यक नहीं है कि अधिनियम को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। [१ ९]

केवल मौखिक अनुमति या मूक आश्वासन नहीं होगा

- यदि A, B से कहता है कि वह बैंक C को लूटना चाहता है, B कहता **है कि आप जैसा चाहते हैं** , A बैंक C को लूटने में सफल होता है, यहाँ B को उकसाया नहीं जा सकता।

वसीयत को गलत तरीके से पेश करने या जमा करने के लिए पर्याप्त है

- A, एक सार्वजनिक अधिकारी, न्यायमूर्ति के न्यायालय से एक वारंट द्वारा अधिकृत किया जाता है Z, B को, उस तथ्य को जानने के लिए और यह भी कि C, Z नहीं है, वसीयत में A का

प्रतिनिधित्व करता है कि C Z है, और इस तरह जानबूझकर A, को C को गिरफ्तार करने का कारण बनता है। । यहाँ B, C की आशंका से बाध्य है।

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दायित्व

- जहां कोई व्यक्ति गैरकानूनी असेंबली को पीटने के लिए सामान्य आदेश देता है, यह एक प्रत्यक्ष दायित्व का मामला है। यह दायित्व अप्रत्यक्ष होगा जब इस तरह के आदेश के बजाय एक व्यक्ति "उनकी मौत से पहले कई बार कायर मरते हैं, एक नारा उठाता है, बहादुर मर जाते हैं लेकिन एक बार" भड़काने का इरादा करेंगे। यह प्रत्यक्ष दायित्व है, जबकि अप्रत्यक्ष दायित्व एक ऐसा करने के लिए बी को अपराध करने के लिए उकसाता है, लेकिन ऐसा नहीं करने पर गलत तरीके से नुकसान पहुंचाता है।

षड्यंत्र

अपराध के आयोग के सुझाव या उत्तेजना में सक्रिय रूप से शामिल होने का मतलब है जैसे कि एक साजिश में। साजिश के अपराधों से निपटने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ए और 107 ने स्पष्ट रूप से दोनों के बीच अंतर को बताया है। ***नूर मोहम्मद मोमिन बनाम महाराष्ट्र राज्य का*** मामला [२०] आपराधिक साजिश और षड्यंत्र के बीच अंतर को दर्शाता है। एक साजिश के तहत आपराधिक षड्यंत्र का एक व्यापक क्षेत्राधिकार है। एक व्यक्ति एक अपराध करने के लिए लोगों के एक समूह के बीच मात्र समझौते के साथ साजिश का दोषी है।

षड्यंत्र द्वारा सामग्री

1. दो या अधिक व्यक्ति के बीच एक साजिश।
2. उस साजिश को आगे बढ़ाने में एक अधिनियम या अवैध चूक हो सकती है।

अध्याय V के तहत व्यक्ति या समझौते का एक मात्र संयोजन पर्याप्त नहीं है, एक अधिनियम या गैरकानूनी चूक भी साजिश के अनुसरण में होनी चाहिए और अधिनियम या अवैध चूक भी उन दोनों के बीच सहमत होने वाली बात के क्रम में होनी चाहिए। [२१]धारा 107 के स्पष्टीकरण 2 को धारा 108 के स्पष्टीकरण 5 के साथ एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो यह प्रदान करता है कि यह साजिश द्वारा अपमान के अपराध के कमीशन के लिए आवश्यक नहीं है कि अपहरणकर्ता उस व्यक्ति के साथ अपराध को अंजाम दे। यह पर्याप्त होगा यदि वह साजिश में संलग्न होता है जिसके लिए अपराध किया जाता है। यह माना

गया है कि जहां एक आपराधिक साजिश धारा 107 के तहत एक अपमान की मात्रा है, धारा 120 ए और 120 बी के प्रावधानों को लागू करना अनावश्यक है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता इस तरह की साजिश की सजा के लिए विशिष्ट प्रावधान करती है। [22]

- ए, एक चोर रात में अपने मालिक के घर का दरवाजा खुला रखने के लिए चोरों के साथ एक समझौता करता है ताकि वे चोरी कर सकें। ए, सहमत योजना के अनुसार दरवाजे खुले रखते हैं और चोर मास्टर की संपत्ति को छीन लेते हैं। A चोरी के अपराध के लिए साजिश द्वारा अपहरण का दोषी है। लेकिन क्या चोरों को नहीं आना चाहिए; A इस सेक्शन के तहत उत्तरदायी नहीं होगा।

जानबूझकर सहायता

एक व्यक्ति को अपराध के कमीशन का पालन करने के लिए कहा जाता है यदि वह जानबूझकर सहायता प्रदान करता है या एक कार्य करके सहायता करता है या एक कार्य करने के लिए छोड़ देता है। सहायता प्रदान करने के इरादे पर्याप्त नहीं हैं।

सामग्री

- एक ऐसा कार्य करना जो सीधे अपराध के कमीशन का समर्थन करता है, या
- एक कर्तव्य की अवैध चूक, जो आप करने के लिए बाध्य हैं, या
- किसी भी कार्य को करने से अपराध की सुविधा मिलती है। [२३]

उदाहरण के लिए, दो फैक्ट्री कर्मचारी झगड़ने लगते हैं और मालिक गुस्से में चिल्लाता है कि अगर उसके पास कोई हथियार होता तो वह उन्हें सबक सिखाता। अब, अगर फैक्ट्री में एक अन्य मजदूर यह सुनकर उसे हथियार दे देता है और मालिक बाद में उन्हें इसके साथ घायल कर देता है, तो जिस मजदूर ने हथियार की आपूर्ति की, उसे अधिनियम के माध्यम से सहायता का दोषी माना गया है। [२४]

एक व्यक्ति, यह ट्राइट है, सहायता द्वारा पालन करता है, जब किसी अधिनियम के पूर्व में या किसी अधिनियम के कमीशन के समय किया जाता है, तो वह सुविधा देने का इरादा रखता है और वास्तव में आयोग को सुविधा प्रदान करता है, तीसरे खंड को आकर्षित करेगा। दंड संहिता की धारा 107। अपराधी के लिए कुछ करना अभियोग नहीं है।

ज्ञान के साथ कुछ करना ताकि उसे अपराध करने में सुविधा हो या अन्यथा घृणा उत्पन्न हो। धारा १० the के तीसरे पैराग्राफ के अर्थ के भीतर सहायता द्वारा अभियोग का गठन करने के लिए, बूचड़खाने को जानबूझकर अपराध के कमीशन का समर्थन दिखाया जाना चाहिए।

एक व्यक्ति किसी अन्य को आकस्मिक रूप से या एक दोस्ताना उद्देश्य के लिए आमंत्रित कर सकता है और इससे आमंत्रित व्यक्ति की हत्या हो सकती है। लेकिन, जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि हत्या की आयोग की सुविधा के लिए आमंत्रण को बढ़ा दिया गया था, यह नहीं कहा जा सकता है कि निमंत्रण देने वाले व्यक्ति ने हत्या को समाप्त कर दिया था।

इस खंड में प्रयुक्त भाषा "जानबूझकर सहायता" है और इसलिए, सक्रिय जटिलता भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के तीसरे अनुच्छेद के तहत घृणा के अपराध का सार है। अभियोग में किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ को करने के लिए उकसाना या किसी भी साजिश में एक या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ उलझना शामिल है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस चीज़ को करने के लिए किसी अधिनियम या अवैध चूक का कारण बनता है, या किसी कार्य द्वारा जानबूझकर सहायता या उस चीज़ को करने के लिए अवैध चूक।

तात्कालिक मामले में, तथ्यों पर, यह स्थापित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था कि अपीलकर्ता ने मृतक को सहायता दी या आत्महत्या करने के लिए उकसाया या उसे आत्महत्या करने में मदद करने के लिए किसी भी साजिश में प्रवेश किया।

जहां मुख्य अपराधी ने बचाव पक्ष द्वारा पीड़ित को चाकू से मार दिया, जिसने बाद में दावा किया कि उसने सोचा था कि चाकू का इस्तेमाल केवल धमकी देने के लिए किया जाएगा, हत्या के लिए बचाव पक्ष की सजा को बरकरार रखा गया, अपील की अदालत ने कहा कि परीक्षण न्यायाधीश को निर्देश देने के लिए सही था जूरी कि प्रतिवादी को इतना दोषी ठहराया जा सकता है यदि उसने विचार किया कि प्रधान अपराधी हत्या कर सकते हैं या उनके संयुक्त उद्यम के हिस्से के रूप में पीड़ित को गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचा सकते हैं।

यह दिखाने के लिए भी आवश्यक नहीं है कि हत्या के लिए एक साजिश के लिए द्वितीयक पक्ष, पीड़ित को मारने का इरादा रखता है, बशर्ते कि यह साबित हो कि उसने इस घटना को वास्तविक या पर्याप्त जोखिम के रूप में माना या पूर्वाभास किया।

अपराध के दृश्य से अनुपस्थिति उद्यम से निकासी के असमान संचार के लिए राशि नहीं है। आरोपी एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी को मारने के लिए कुछ अन्य लोगों के साथ भर्ती किया गया था। पूर्व निर्धारित

समय पर उसे सहमति वाली जगह ले जाया गया और मार दिया गया। जब हत्या हुई थी तब आरोपी मौजूद नहीं था। यह माना जाता था कि उन्हें इस बात के लिए दोषी ठहराया गया था कि उन्होंने अपराध के कमीशन से पहले प्रोत्साहन और सहायता दी थी।

अपराध स्थल पर मौजूद होने के कारण सहायता करने के लिए राशि नहीं है

- जब तक इरादे मौजूद होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता था या व्यक्ति को पता था कि अपराध किया जाना है या वह सक्रिय रूप से समर्थन करता है या कुछ स्थिति रखता है, अपराध करने में रैंक करता है।

अध्याय VII

यह अध्याय भारत सरकार में सेना, नौसेना या वायु सेना में एक अधिकारी, सैनिक, नाविक या एयरमैन के खिलाफ अपराधों से संबंधित है। इसके अलावा, ये शब्द धारा 131 से 140 तक सभी वर्गों के लिए सामान्य हैं।

सामग्री

1. एक अधिकारी (अधिकारी, सिपाही, नाविक या वायु सेना, भारत सरकार की नौसेना या वायु सेना) द्वारा एक विद्रोह करने की क्षमता
2. किसी अधिकारी को उसकी निष्ठा या उसके कर्तव्य से बहकाने का प्रयास करना।

विद्रोह सेना में वैध अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह है। यह देशद्रोह की तुलना में बहुत अच्छा हो सकता है। इस अध्याय में वशीकरण की अवधारणा अध्याय V और अध्याय XVI के अनुरूप है। अध्याय VII में एकमात्र अंतर राज्य के खिलाफ अपराधों की श्रेणी में आता है, इसलिए गंभीर दंड प्रतिबंध हैं।

अध्याय XVI

आत्महत्या करने की प्रवृत्ति

आत्महत्या के मामलों में आत्महत्या और दहेज हत्या के मामलों में आम तौर पर वशीकरण के रूप में जिम्मेदारी सबसे आवश्यक विचार है। आत्महत्या के लिए किसी को भी आरोपित करने के लिए एक और महत्वपूर्ण विचार यह संदेह से परे साबित करना है कि प्रश्न में मृत्यु एक आत्मघाती मौत है। [२५] धारा ३०६, आईपीसी में लिखा है कि *यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई भी इस तरह की आत्महत्या के आयोग को समाप्त करता है, वह होगा। एक शब्द के लिए या तो विवरण के कारावास से दंडित, जो दस साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माना के लिए उत्तरदायी होगा* । धारा 306 में पालन की परिभाषा को आईपीसी की धारा 107 के तहत दी गई परिभाषा के अनुरूप होना चाहिए।

यदि A, B को खुद को मारने के लिए राजी कर लेता है और वह ऐसा करता है, तो इस धारा के अनुसार, A एक बूचड़खाने के रूप में उत्तरदायी होगा। अभियुक्त द्वारा आत्महत्या करने के लिए [२६] प्रत्यक्ष भागीदारी को आत्महत्या के लिए उकसाना आवश्यक है। [२ment] हालांकि, आत्महत्या का वध एक लंबी मानसिक प्रक्रिया है और शायद ही कभी साबित करना आसान होता है। 306 के तहत सजा तब तक नहीं दी जा सकती है जब तक कि स्पष्ट मेन्स साबित न हो। आईपीसी की धारा 306 के तहत आने वाले अपराध के लिए जिन तत्वों को संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है, वे आत्महत्या की मौत हैं, और ***आंध्र प्रदेश के संगाराबोनिया श्रीनु बनाम राज्य*** में आयोजित किया गया / [२ 28]

आइए हम आत्महत्या के बारे में हाल के कुछ घटनाक्रमों पर गौर करें, जो अपराध की सामग्री को भी सामने रखते हैं।

अभियोग में किसी व्यक्ति को उकसाने या किसी कार्य को करने के लिए जानबूझकर किसी व्यक्ति को सहायता देने की मानसिक प्रक्रिया शामिल है। आत्महत्या के लिए उकसाने या सहायता देने के लिए अभियुक्त की ओर से कोई सकारात्मक कार्य किए बिना, विश्वास को कायम नहीं रखा जा सकता है। पत्नी और आरोपी के बीच कथित अवैध संबंधों के कारण मृतक ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोपी मृतक की पत्नी को उसके भाई के घर से भगा ले गया और चार दिन तक अपने साथ रखा। मृतक द्वारा की गई आत्महत्या से अभियुक्त और मृतक की पत्नी के आचरण और व्यवहार के बीच निश्चित रूप से निकटता और सांठगांठ है।

जहां एक विवाहित लड़की ने अपने ससुराल में खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली, उसके ससुराल वालों को अपमान का दोषी माना गया क्योंकि वे उसे लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे और उस पर नाजायज गर्भावस्था का आरोप लगाते हुए गए थे। इस मामले में न्यायाधीश ने कहा कि इन सभी यातनाओं और तानों ने उसके मन में अवसाद पैदा कर दिया और उसे खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे दूर करने के लिए उसके जीवन को समाप्त करने का चरम कदम उठाने के लिए निकाल दिया।

दंड संहिता की धारा 306 में आत्महत्या के लिए दंड निर्धारित किया गया है जबकि दंड संहिता की धारा 309 में आत्महत्या के प्रयास को दंडित किया गया है। आत्महत्या के प्रयास का दंड दंड संहिता की धारा 306 के दायरे से बाहर है।

उसी तरह के एक अन्य मामले में, एक पति लगातार अपनी पत्नी से और अधिक पैसे की मांग करता था, उसके साथ रोज झगड़ा करता था। भाग्य के दिन जब वह कहती है कि मौत इससे बेहतर होती, तो उसने जवाब में केवल यही सुना कि अगर वह अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है तो उसका पति राहत महसूस करेगा। इसके तुरंत बाद उसने खुद को आग लगा ली। पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया गया था। जहां मृतक ने अपनी शादी की तारीख से 35 दिनों के भीतर आत्महत्या कर ली, और क्रूरता का आरोप भी पूरी तरह से स्थापित किया गया था, आरोपी दोषी पाया जाता है।

- ***स्पष्ट अपराध करने के लिए स्पष्ट पुरुष धारा 306 आईपीसी*** [29] के ***तहत दोष सिद्ध होने के लिए गैर-योग्य है।***

- केवल इसलिए कि पत्नी ने वैवाहिक घर में आत्महत्या कर ली, पति और ससुराल वालों पर आत्महत्या के लिए आरोप नहीं लगाया जा सकता। [30]
- किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए, अपराध करने के लिए स्पष्ट पुरुष होना चाहिए। [31]

प्रासंगिक मामले कानून

अबेटमेंट के कानून में हाल ही में बड़े बदलाव हुए हैं। नीचे दिए गए ऐतिहासिक मामलों में परिवर्तन किए गए हैं:

- में प्रमोद श्रीराम Telgote v. महाराष्ट्र राज्य , यह निर्णय किया गया है कि "स्पष्ट पुरुषों रिया अपराध प्रतिबद्ध करने के लिए है धारा 306 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए एक अनिवार्य शर्त"।
- में Channu v. छत्तीसगढ के राज्य , यह निर्णय किया गया है कि "केवल क्योंकि वैवाहिक घर, पति और ससुराल पत्नी ने आत्महत्या कर ली आत्महत्या के लिए उकसाने का शुल्क नहीं लिया जा सकता है।"

- में Gurucharan सिंह v. पंजाब राज्य , यह निर्णय किया गया है कि "आदेश आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए एक व्यक्ति को दोषी साबित करने में, वहाँ एक स्पष्ट पुरुषों एक अपराध प्रतिबद्ध करने के लिए रिया हो गया है।"

संदर्भ

1. *संजू बनाम मध्य प्रदेश राज्य* देखें , (2002) 5 एससीसी 371।
2. देखें *करतार सिंह v। पंजाब राज्य* , 1994 Cri एलजे 3319।
3. भारतीय दंड संहिता, केए पांडे, बीएम गांधी, ईबीसी 4 वें संस्करण
4. कानून आयोग की आयरलैंड रिपोर्ट, इनचोएट अपराधों पर परामर्श पत्र, 2008
5. देखें (2007) 10 एससीसी 797
6. देखें *केरल वी. एस. उन्नीकृष्णन नायर के राज्य,* (2015) 9 एससीसी 639।
7. धारा 108 आईपीसी, स्पष्टीकरण 2 देखें
8. देखें *दलपतसिंह v। राजस्थान राज्य* , आकाशवाणी 1969 अनुसूचित जाति 17 (2
9. *ईद*
10. *सुप्रा* नोट 1
11. *मुथम्मल बनाम मारुथला* (1981)
12. धारा 108 आईपीसी, स्पष्टीकरण 3 देखें।
13. धारा 109 आईपीसी देखें
14. देखें *स्वामी Prahaladdas वी। के सांसद एवं Am के राज्य* ।, 1995 Supp। (३) एससीसी ४३
15. *देखें* मोरीसेट वी। संयुक्त राज्य अमेरिका, 342 यूएस 246, 250 (1952)
16. देखें (1801) 2 पूर्व 5।
17. देखें *Faguna कांटो v। असम के राज्य,* आकाशवाणी 1959 एससी 673।
18. *सुपाड़ा* नोट ६।
19. जमुना सिंह बनाम बिहार राज्य, AIR 1967 SC 553 देखें।
20. AIR 1971 SC 885, (1971) Cr Lj 793 (SC)
21. धारा 107 आईपीसी, स्पष्टीकरण 2 देखें।
22. AIR 1960 पैट 459 (468)
23. फगुना कांता नाथ बनाम असम राज्य, AIR 1959 SC 673 देखें।
24. (1874) 12 डब्ल्यूआर 527
25. एयर 1942 मैड 92 (93) देखें

26. एम। मोहन बनाम राज्य 2011 (3) एससीसी 626
27. जगन्नाथ मोंडल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य
28. (१ ९९ () ४ सर्वोच्च २१४
29. प्रमोद श्रीराम तेलगोटे बनाम महाराष्ट्र राज्य, क्राल। 2013 का आवेदन (APL) नंबर 293।
30. चन्नु बनाम छत्तीसगढ़ राज्य देखें, 2017 एससीसी ओनलीन छ 1234
31. गुरुचरण सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2016 एससीसी ओनली एससी 1415 देखें